न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार अग्रवाल आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 96/2022

सुरजीत कौर पत्नी रामचन्द जाति अरोड़ा मिढा आयु 65 वर्ष निवासी 3 ब्रहम कॉलोनी, बाबत टेंट हाउस से पहले, बसन्ती चौक, श्रीगंगानगर

.... **वादी**

बनाम

1. मनीत पुत्र रामचन्द जाति अरोडा निवासी सेतिया कॉलोनी, गली नं. 5, मकान नं. 227 (194 बी), श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर ।
3. अजय कुमार पुत्र बलवन्त कौर पत्नी हंसराज जाति खत्री निवासी चकं 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. अमरीक सिंह पुत्र बलवन्त कौर पत्नी हंसराज जाति खत्री निवासी चक 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
6. इन्द्रा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. कपिल नागपाल पुत्र जीवनदास नागपाल जाति अरोडा निवासी 40 एल ब्लॉक, श्रीगंगानगर
8. कलावती देवी पुत्री अमीचंद जाति जाट निवासी चक 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. काशीराम पुत्र बिरमाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
10. खीवनीराम पुत्री हीरा जाति बिश्नोई निवासी 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
11. चेतराम पुत्र बिरमा राम जाति बिश्नोई निवासी 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. चुन्नीलाल पुत्र रूघाराम जाति बिश्नोई निवासी 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
13. जगदीशचन्द्र पुत्र अमीचंद जाति बिश्नोई निवासी 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
14. ज्यानोदेवी पुत्री अमीचंद जाति बिश्नोई निवासी 3ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
15. पृथ्वीराज पुत्र हरचन्द जाति बिश्नोई निवासी 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
16. पूर्णराम पुत्र अमीचन्द जाति बिश्नोई निवासी [illegible]टी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
17. पुष्पा देवी पत्नी रमेशकुमार मालपानी जाति अरोड़ा [illegible] छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
18. बबली पुत्री बलवन्त कौर पत्नी स्व0 हंसराज जाति ख[illegible] निवासी 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:14:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

19. राजेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
20. राजा राम पुत्र बिरमा राम जाति विश्नोई निवासी 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
21. रामकिशन पुत्र कर्मचन्द जाति अरोडा निवासी 9 डी प्रेमनगर श्रीगंगानगर ।
22. रामजीलाल पुत्र हीरा जाति विश्नोई निवासी 3ए छोटी तहसील व जिलाश्रीगंगानगर ।
23. वीना पुत्री बलवन्त कौर पत्नी स्व0 हंसराज जाति खत्री निवासी निवासी 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
24. शारदा चौधरी पत्नी स्व0 पी. एस. चौधरी जाति जाट निवासी 2 – सी – 1.5 सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर ।
25. शिमला पुत्री बलवन्तकौर पत्नी स्व. हंसराज जाति खत्री निवासी निवासी 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
26. सन्तो देवी पुत्री हीरा जाति विश्नोई निवासी 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
27. सरबती पुत्री हीरा जाति बिश्नोई निवासी 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
28. हरचंद पुत्र हीरा जाति बिश्नोई निवासी 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
29. हरिन्द्रपाल पुत्र सरदार सिंह जाति अरोडा निवासी एफ ब्लॉक, श्रीगंगानगर ।
30. .हरीशचन्द्र पुत्र बलवन्तकौर पत्नी स्व0 हंसराज जाति खत्री निवासी 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित ::–

1. श्री सुभाष मिढढा अधिवक्ता	वादी
2. मनीत	प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी–2

प्रतिवादी संख्या 3 ता 30 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.01.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादीया व प्रतिवादी सं0 1 के नाम चक 3ए छोटी पटवार हल्का रामनगर, तहसील श्री गंगानगर के खाता सं0 130 / 132 मु० न० 24,35 में संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है जमाबंदी की नकल शामिल है, वादीया के नाम 405 / 7628 हिस्सा दर्ज है व इसी खाता में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 101 / 7628 हिस्सा दर्ज है। 3. यह कि वादीया के नाम जो भूमि दर्ज है वह उसने जरिये वैयनामाजात के खरीद की हुई है तथा बैयनामाजात के रोज ही उसको कब्जा मु० न० 35 के किला न0 13 व 14 का 0.405 है0 मिला हुआ है तथा आज भी इसी भूमि पर काविज है तथा यही भूमि प्रतिवादी सं0 1 के साथ मौखिक बंटवारा व पारिवारिक समझौता के आधार पर वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है, इन किलाजात में शेष रकवा 0.101 है० प्रतिवादी सं0 1 के कब्जा में है । वादीया ने अपने कब्जा काश्त की भूमि में काफी रुपया लगाकर सुधार किया हुआ है, [illegible] सं0 1 के मन में लालच आ गया है तथा वह वादीया के कब्जा की भूमि पर कब्जा करने व [illegible] कब्जा की अच्छी भूमि को मुंतकिल करने के प्रयास में हैयदि वह इसका [illegible] को [illegible] होने वाला नुकसान होगा, अतः दावा हाजा लाना आवश्यक है। वादीया [illegible] सं0 1 से बार बार आग्रह किया कि वह वादीया को उपरोक्त खाता की मु0 न0 35 के किला न0 13,14 की भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड में किलावाईज [illegible] दर्ज करवाये, मगर प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:14:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

लालचवंश होने से टालमटोल करते हुए दिनांक 12.06.22 को साफ इंकारी है जो कि यही विनाए मुखासमत तथा दावा हाजा लाना आवश्यक है।.

यह कि प्रतिवादी सं0 2 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक है । लिहाजा दावा वादीया पेश करके अर्ज है कि दावा वादीया, बहक वादीया, खिलाफ प्रतिवादीया निम्न प्रकार डिक्री किया जावे–

(क) डिक्री घोषणा व खाता विभाजन कृषि भूमि चक 3 ए छोटी पटवार हल्का रामनगर तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 130/132 मु० न० 24 व 35 में वादीया व प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज भूमि में से वादीया को मौखिक खाता विभाजन व पारिवारिक समझौता के आधार पर मु० न० 35 के किला नप0 13,14 की 0.405 है० का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए विभाजन में आने, किलावाईज दर्ज करने, मामला लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे ।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादीया के हित में हो प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 30 की तलबी जरिए समाचार पत्र में प्रकाशन के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 3 ता 30 प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 30 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की चरण सं0 3 के जवाब में निवेदन है कि चक 3 ए छोटी तह0 श्री गंगानगर के मु० न० 35 के किला न0 13 व 14 का 0.405 है0 वादीया के कब्जा काश्त में चला आ रहा है तथा इन्ही किलाजात का 0.101 है0 मन प्रतिवादी के कब्जा में है, इस प्रकार वादीया व मन प्रतिवादी मु० न० 35 के किला न0 13 व 14 की समस्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। वाद पत्र की चरण सं0 4 के जवाब में निवेदन है कि वादीया व मन प्रतिवादी के बीच मनमुटाव हो जाने से विवाद पैदा हुआ मगर पंचायत के समझाने पर कब्जा के आधार पर रकबा दर्ज करवाने में मिकर सहमत हो गया है। जवाब में निवेदन है कि वादीया व मन प्रतिवादी के बीच मनमुटाव हो जाने से विवाद पैदा हुआ मगर पंचायत के समझाने पर कब्जा के आधार पर रकबा दर्ज करवाने में मिकर सहमत हो गया है।वादीया द्वारा चाहे गये अनुतोष से कोई इंकारी नहीं है मगर यह निवेदन है कि 3 ए छोटी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 130/132 मु० न० 24,35 में मु0 न० 35 के किला न० 13,14 का 0.405 है0 वादीया के नाम दर्ज करने व शेष 0.101 है0 मन प्रतिवादी के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

वादीया एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित राजीनामा के अनुसार प्रथम पक्ष श्रीमती सुरजीत कौर द्वारा वाद घोषणाएवं बंटवारा कृषि भूमि चक 3 ए छोटी, खाता संख्या 130/132, मु0नं0 24 व 35 के सम्बंध में मु0नं0 35 के किला नं0 13 व 14 का खातेदार घोषित करने एवं विभाजन एवं किलावाईज दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। जिस सम्बंध में पक्षकारान का रिश्तेदार व भाई बंधुओ ने राजीनामा करवा दिया है। राजीनामा के अनुसार प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को मु0नं0 35 के किला नं0 13 का पूर्वी हिस्सा पैमायशी 66 गुणा 165 = 1.0890 वर्गफीट अर्थात् 8 बिस्वा = 0.101 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई है तथा शेष किला नं0 13 व 14 की कृषि भूमि प्रथम पक्ष के हिस्सा में आई है। इस प्रकार से प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष अपने हिस्सा आई भूमि पर काबिज है तथा उक्त अनुसार वाद का निस्तारण करते हुए डिक्री पारित की जाती है तो प्रक्षकारान को किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होगी। राजीनामा पक्षकारान ने अपनी स्वेच्छा एवं सहमति से लिख दिया है जिस अनुसार दावा निर्णित कर डिक्री पारित करने का आदेश फरमाया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

वादी द्वारा साक्ष्य वादी में वादीया सुरजीत कौर पत्नी रामचन्द्द जाति अरोडा का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रदर्श 1 जमाबंदी व प्रदर्श 2 बैयनामा दिनांकित 06.12.1994 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:14:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। वादी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं जमाबंदी सम्वत 2070—2073 चक 3 ए छोटी पटवार हल्का रामनगर, भू.अ. नि.क्षेत्र. रामनगर खाता संख्या 130/132 के अवलोकन एवम् वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की आराजी होने से वादीगण अपना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में जरिए क्रमांक /भू. अ./3870दिनांक 28.12.2023 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण द्वारा अनापत्ति जाहिर करते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :—

क्र.सं.	खातेदार	रकबा का विवरण
1	सुरजीत कौर पत्नी रामचन्द (वादी)	चक 3 ए छोटी के मुरबा नम्बर 35 किला नं. 13(0.152 हैक्टर पश्चिम हिस्सा), किला नं. 14/1(0.253 हैक्टर) कुल 0.405 हैक. नहरी
2	मनीत पुत्र रामचन्द (प्रतिवादी) शेष रकबा बदस्तूर	चक 3 ए छोटी के मुरबा नम्बर 35 किला नं.13(0.101 हैक्टर पूर्व हिस्सा)

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ॠण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08.01.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:14:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

(संजय कुमार अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner